न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 38 /2017

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हलका भाखरपुरा

श्री पांना, डूंगरा पि. ओसा कौम [illegible] सा. खारवा

दिनांक 28.08.17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी / अप्रार्थीगण अनुपस्थित

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण ने सरहद मौजा ......खारवा...... सरकारी भूमि ख.नं. ......491/73...... कुल रकबा ......123...... किस्म गै. मु. गोचर मेंसे ...3.10... बीघा भूमि पर ......बाड़ [illegible]...... अनाधिकृत कब्जा किया हैं , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं ।

नियत तारीख पेशी दिनांक ......28.8.17...... को प्रार्थी पटवारी हलका तथा ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण नोटिस तामिली के बावजूद अनुपरिथत , अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी पटवारी हलका ने ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण को बेदखल करने तथा दंडित करने का निवेदन किया

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया [illegible] पर ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण के अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं अतः ~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण को [illegible] का अतिक्रमी घोषित किया जाता हैं तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushliya
Date: 2024.08.23 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested

~~अप्रार्थी~~ /अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान ......5.04...... रूपये का बीस गुणा ......150......... अक्षरे रूपये ....एक सौ पचास.. शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक ......28.8.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 12:10:30 IST
Reason: SelfAttested